भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1636

उत्तर देने की तारीख: 28.11.2019

सूक्ष्म उद्यमों को पुनर्जीवित करना

1636. श्रीमती क्वीन ओझाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सूक्ष्म उद्यम जो परंपरागत रूप से पीतल और बेल धातु के विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन निधि और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण उद्यमी निधि की कमी के कारण असमी समाज से गायब होते जा रहे हैं और जिसके परिणामस्वरूप आने वाली पीढ़ी को समाज में ऐसे पीतल और बेल धातु वाली वस्तुएं नहीं मिलेंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या असम में विशेषकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जनता के व्यापक हित के लिए सूक्ष्म उद्यम को प्नर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) इसको कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन गडकरी)

- (क) से (घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की पीतल और बेल मैटल क्षेत्र सहित सूक्ष्म उद्यमों की सहायता के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं- :
 - i. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना
 - सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना
 - iii. एमएसएमई वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना
 - iv. खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस)
 - v. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना
 - vi. बाजार संवर्धन और विकास सहायता
 - vii. पारंपरिक उद्योगों के पुनरुज्जीवन की निधि योजना (स्फूर्ति)
 - viii. नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता योजना (एस्पायर)
 - ix. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस)
 - x. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
